राज्यपालीय आपदा उद्घोषणा

जबकि, 10 अगस्त, 2022 की सुबह 9:36 बजे, इलिनोइस में, सेंट क्लेयर काउंटी लाइन से लगभग दो मील उत्तर, मैडिसन काउंटी के मैडिसन में, 10 फॉक्स इंडस्ट्रियल ड्राइव में स्थित इंटरको मेटलट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग सुविधा में एक बड़ी आग लग गई; तथा

जबकि, मेट्रो ईस्ट और सेंट लुइस क्षेत्र के कई अग्निशमन विभाग, साथ ही साथ म्यूचुअल एड बॉक्स अलार्म सिस्टम (MABAS), आग बुझाने के प्रयासों के 48 घंटे तक जारी रहने की उम्मीद के साथ, पांच-अलार्म आग को बुझाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं; तथा

जबकि, मौसम अधिकारियों की रिपोर्ट है कि आग से धुएं का गुबार हवा में 5,000 फीट और मीलों दूर देखा गया था; तथा

जबकि, इंटरको सुविधा में कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया था, और आग से धुएं और कालिख की संभावित खतरनाक प्रकृति ने मैडिसन शहर में स्थानीय अधिकारियों को एक अनुरोध जारी करने के लिए प्रेरित किया कि कारखाने के एक मील के दायरे में लोगों को जगह-जगह आश्रय देना चाहिए; तथा

जबकि, स्थिति अभी भी विकसित हो रही है, और मौसम पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि 10 अगस्त को लगभग 10:00 बजे से तापमान में उलटफेर होने की उम्मीद है जो धुएं के गुबार को जमीनी स्तर के करीब ले जाएगा और जिसके लिए अतिरिक्त प्रतिक्रिया गतिविधियों की आवश्यकता हो सकती है और इस उलटफेर से प्रभावित क्षेत्र में संभावित रूप से हजारों निवासियों के लिए अधिक व्यापक आश्रय-स्थल अनुरोध निर्देशित किया गया; तथा

जबकि, मौसम का पूर्वानुमान मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में शुक्रवार, 12 अगस्त, 2022 को मध्याह्न तक प्रचलित हवाओं को इंगित करता है, आमतौर पर सेंट क्लेयर काउंटी की दिशा में; तथा

जबकि, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, स्थानीय संसाधन एवं समर्थता छिन्न हो गई है, मैडिसन काउंटी ने स्थानीय आपदा उद्घोषणा जारी की है, और इस आग के प्रभावों का जवाब देने और उससे उबरने के लिए राज्य के संसाधनों की आवश्यकता है; तथा

जबकि, ये परिस्थितियां आग से उत्पन्न होने वाली व्यापक या गंभीर क्षति, चोट या जीवन या संपत्ति के नुकसान की घटना या खतरे को जन्म देती हैं, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के अनुभाग 4 में प्रदान की गई आपदा का गठन करती-हैं; तथा

जबकि, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि राज्य किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहेगा और, इसीलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलिनॉय वासी सुरक्षित रहें राज्य के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक व उपयुक्त है; तथा

जबकि, ये स्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट) के अनुभाग 7 के अंतर्गत आपदा की उद्घोषणा जारी करने का विधिक औचित्य प्रदान करती हैं; तथा

जबकि, इलिनॉय का संविधान, अनुच्छेद V के, अनुभाग 8 में, यह कहता है कि "राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के न्यायसंगत निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा," और प्रस्तावना में कहता है कि, इलिनॉय के संविधान का केंद्रीय उद्देश्य "लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करना" है;

अब, **इसलिए**, इलिनॉय के लोगों और लोक स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु उत्तरदायी स्थानीय सरकारों की सहायता के हित में, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इसके द्वारा निम्नगत उद्घोषणा करता हूँ:

अनुभाग 1: इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305/7 के अनुभाग 7 के उपबंधों के अनुसरण में, मैं यह पाता हूं कि इलिनॉय राज्य में एक आपदा अस्तित्व में है और मैं विशिष्ट रूप से मैडिसन काउंटी और सेंट क्लेयर काउंटी को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूं। यह उद्घोषणा, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20 ILCS 3305/7, के अनुभाग 7 में प्रदत्त समस्त आपातकालीन

शक्तियों, जिनमें नीचे वर्णित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां शामिल हैं पर उन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के उपयोग के प्राधिकार की अनुमति देती है।

अनुभाग 2. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) को राज्य आपातकालीन संचालन योजना को लागू करने और आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यों में स्थानीय सरकारों का समर्थन करने के लिए राज्य के संसाधनों से समन्वय करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

अनुभाग 3. प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम द्वारा यथा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं किए गए हैं। आवश्यक होने की स्थिति में, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(1) के अनुभाग 7(1) के अनुसरण में, राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थगित करने के लिए उपयुक्त कार्यकारी कार्रवाई कर सकते हैं।

अनुभाग 4. इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(3) के अनुभाग 7(3) के अनुसरण में, यह उद्घोषणा राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित करने के उद्देश्य से राज्य के विभागों और उनके अभिकरणों या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या कार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को, आवश्यकतानुसार, सक्रिय करती है।

अनुभाग 5. राज्य के सभी अभिकरणों (एजेंसियों) को यह निर्देश दिया जाता है कि वे मौजूदा आपदा का सामना करने और उससे उबरने की रणनीतियों एवं योजनाओं के विकास एवं कार्यान्वयन में राज्यपाल (गवर्नर), अन्य राज्य अभिकरणों और स्थानीय प्राधिकरणों का सहयोग करें।

अनुभाग 6: यह उद्घोषणा संघीय आपदा सहायता के अनुरोधों को सुगम कर सकती है, बशर्ते कि क्षति का पूर्ण व व्यापक आकलन यह इंगित करे कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकारों की क्षमताओं से परे है।

अनुभाग 7: यह उद्घोषणा तत्काल प्रभावी होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

____

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)
राज्यपाल (Governor)

दिनांक: 10 अगस्त, 2022